नाम न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. मेडुल (?)

फर्द अहकाम

केस संख्या 93/2025 बनाम [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा [illegible]
	18/3/26	उभय पक्ष [illegible] / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य [illegible] हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 8/4/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	8/4/2026	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 24/4/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
[illegible] 17/4/26	17/4/26	प्रकरण में शीघ्र सुनवाई बाबत [illegible] होने से पत्रावली आज पेश हुई। वादी उप०/ वकील वादी ने उर्ज़जात रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक उर्ज़जात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व उर्ज़जात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी उर्ज़जात रिपोर्ट से सहमत है एवं वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है अतः उर्ज़जात रिपोर्ट सही उचित होने से दावा मुताबिक उर्ज़जात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल मिसल हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर अभिलेख दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी — श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या — 93 / 2025

शीर्षक

1. अतुल शंकर खरलवा पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, जाति गूर्जर, निवासी गोनाकावास, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

2. नेमीचन्द स्वामी पुत्र श्री हनुमान सहाय स्वामी, जाति स्वामी, निवासी रायपुरा जागीर, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज०)

3. महावीर प्रसाद यादव पुत्र श्री महादेव प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

– वादीगण

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र रामेश्वर
2. हीरालाल पुत्र रामेश्वर
3. भागली पत्नि रामेश्वर
4 मंजू देवी पुत्री रामेश्वर
5. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर

जाति यादव, निवासी खोरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर

6. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 17/4/2026

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 400 के हाल आराजी खसरा नंबर 558 / 2 / 0.75 है0 किता 1 रकबा 0.75 है0 वाकै ग्राम खोरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण जमाबन्दी में दर्ज अनुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल है तथा नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बटवारा नहीं है जबकि पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है। दिनाक–10.05.2025 को वादीगण ने अपनी आराजी का सहमति से बटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण बटवारा करवाने के लिए साफ इकारी हो गये जबकि

सहायक कलक्टर

वादीगण अपनी भूमि के नम्बर व खाता अलग करवाकर भूमि की किस्म परिवर्तन करवाना चाहता है जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यदकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मंसूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादीगण की आराजी का वैधानिक बंटवारा नहीं होने दिया या उपयोग उपभोग में मदाखलत पैदा कर दिया तो वादी को ना काबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप मे धनराशि में सभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में परस्पर मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–400 के हाल आराजी खसरा नं0–558/2/0.75 हैक्टर किता–1 रकबा 0.75 हैक्टर वाकै ग्राम खोरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को ध्यान में रखकर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि में बाद बटवारा वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे जबकि वादीगण को उनके हिस्से पर काबिज काश्त रहकर शांति पूर्वक काश्त करने देवे। पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 16.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2026/65 दिनांक 07.01.2026 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर वकील वादी ने दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया

गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता सं0-400 के हाल आराजी खसरा नं0-558/2/0.75 हैक्टर किता-1 रकबा 0.75 हैक्टर वाके ग्राम खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. अतुल शंकर खरलवा पुत्र विजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/3 जाति-गुर्जर गोनाकासर, शाहपुरा जयपुर खातेदार, नेमि चंद स्वामी पुत्र हनुमान सहाय स्वामी हिस्सा 1/3 जाति स्वामी, रायपुर जागीर, श्रीमाधोपुर, सीकर खातेदार, महावीर प्रसाद यादव पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति – अहीर (यादव) अचरोल खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2842/558/1 रकबा 0.1223 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1223 है0 भूमि रहेगी।
2. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 6/25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, भागली देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 6/25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, मंजू देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 6/25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7/50 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7/50 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2842/558/2 रकबा 0.6117 है0 किता 1 कुल रकबा 0.6117 है0 भूमि रहेगी।
3. अतुल शंकर खरलवा पुत्र विजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/18 जाति गुर्जर गोनाकासर, शाहपुरा जयपुर खातेदार, नेमि चंद स्वामी पुत्र हनुमान सहाय स्वामी हिस्सा 1/18 जाति स्वामी रायपुर जागीर, श्रीमाधोपुर, सीकर खातेदार, प्रेम देवी पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, भागली देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव) सा0 दहेह खातेदार, मंजू देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, महावीर प्रसाद यादव पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) अचरोल खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7/60 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7/60 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2843/558 रकबा 0.0160 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0160 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला–जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी — श्री संजीव कुमार खेदड़, आर ए एस

वाद संख्या — 93 / 2025

शीर्षक

1. अतुल शंकर खरलवा पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, जाति गुर्जर, निवासी गोनाकासर, तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

2. नेमीचन्द स्वामी पुत्र श्री हनुमान सहाय स्वामी, जाति स्वामी, निवासी रायपुर जागीर, तहसील-श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज०)

3. महावीर प्रसाद यादव पुत्र श्री महादेव प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

— वादीगण

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र रामेश्वर
2. हीरालाल पुत्र रामेश्वर
3. भागली पत्नि रामेश्वर
4 मंजू देवी पुत्री रामेश्वर
5. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर

जाति यादव, निवासी खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर

6. राजस्थान सरकार (भुधारक) जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 17/4/26

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता सं0-400 के हाल आराजी खसरा नं0-558/2/0.75 हैक्टर किता-1 रकबा 0.75 हैक्टर वाकै ग्राम खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

. अतुल शंकर खरलवा पुत्र विजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/3 जाति-गुर्जर गोनाकासर, शाहपुरा जयपुर खातेदार, नेमि चंद स्वामी पुत्र हनुमान सहाय स्वामी हिस्सा 1/3 जाति स्वामी, रायपुर जागीर, श्रीमाधोपुर, सीकर खातेदार, महावीर प्रसाद यादव पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1/3 जाति – अहीर (यादव) अचरोल खातेदार के हिस्से में

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आराजी खसरा नंबर 2842 / 558 / 1 रकबा 0.1223 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1223 है0 भूमि रहेगी।

2. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 6 / 25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, भागली देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 6 / 25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, मंजू देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 6 / 25 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7 / 50 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7 / 50 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2842 / 558 / 2 रकबा 0.6117 है0 किता 1 कुल रकबा 0.6117 है0 भूमि रहेगी।

3. अतुल शंकर खरलवा पुत्र विजेन्द्र सिंह हिस्सा 1 / 18 जाति गुर्जर गोनाकासर, शाहपुरा जयपुर खातेदार, नेमि चंद स्वामी पुत्र हनुमान सहाय स्वामी हिस्सा 1 / 18 जाति स्वामी रायपुर जागीर, श्रीमाधोपुर, सीकर खातेदार, प्रेम देवी पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1 / 5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, भागली देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1 / 5 जाति अहीर (यादव) सा0 दहेह खातेदार, मंजू देवी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1 / 5 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, महावीर प्रसाद यादव पुत्र महादेव प्रसाद हिस्सा 1 / 18 जाति अहीर (यादव) अचरोल खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7 / 60 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 7 / 60 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2843 / 558 रकबा 0.0160 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0160 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक ...17/4/24... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प त पत्र के लिए स्टाम्प ों के लिए स्टाम्प ... रूपये पर प्लीडर की फीस यों के लिए निर्वाह – व्यय श्नर की फीस शिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.